**न्यायालय अपर जिला न्यायाधीश सं. 2, ब्यावर,**
**जिला अजमेर।**

दीवानी वाद सं. 23/2022

राजेन्द्र व अन्य बनाम राजकुमार व अन्य

दिनांक 21.11.2023

वकुलाय पक्षकारान उपस्थित।

इस आदेश द्वारा अधिवक्ता वादीगण की ओर प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अंतर्गत आदेश 7 नियम 14 सपठित धारा 151 जा. दी. दिनांकित 02.11.2022 का निस्तारण किया जा रहा है। बहस प्रार्थना पत्र सुनी गई।

दौराने बहस अधिवक्ता वादीगण ने प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया है कि प्रतिवादीगण द्वारा विक्रय अनुबंध दिनांक 10.09.2015 पर स्व. श्री श्यामसुन्दर फतेहपुरिया के हस्ताक्षरों को फर्जी व कूटरचित होना अभिकथित किया गया है। प्रतिवादीगण द्वारा प्रतिवाद पत्र में यह भी अभिकथित किया गया है कि प्रतिवादी राजकुमार की पत्नी श्रीमती सुषमा द्वारा वादीगण के विरूद्ध एक प्रथम सूचना रिपोर्ट सं. 84/2019 पुलिस ब्यावर सिटी में दर्ज करवाई गई। पुलिस द्वारा न्यायालय से मूल विक्रय अनुबंध पत्र प्राप्त करके विधि विज्ञान प्रयोगशाला में जांच हेतु भेजा गया, जिसकी जांच दिनांक 27.12.2021 प्राप्त हुई, जिसके अनुसार इस विक्रय अनुबंध पर हो रखे श्री श्यामसुन्दर फतेहपुरिया के हस्ताक्षर सही होना पाया गया। इसके अतिरिक्त जो प्रथम सूचना रिपोर्ट सं. 84/2019 दर्ज करवाई गई, उसे भी झूठा मानते हुए न्यायालय के समक्ष अंतिम प्रतिवेदन प्रस्तुत किया गया। इस एफ.एस.एल. रिपोर्ट दिनांक 27.12.2021 की प्रमाणित प्रतिलिपि एवं अंतिम रिपोर्ट दिनांक 27.07.2022 की प्रमाणित प्रतिलिपि न्यायालय के समक्ष पेश की जा रही है। उक्त दस्तावेज वाद विषय से संबंधित है एवं वादीगण के अभिवचनों को प्रमाणित करने के लिए आवश्यक दस्तावेज है। प्रस्तुत प्रकरण अभी प्रारंभिक अवस्था में है और तनकीयात में कायम नहीं हुई है। अतः प्रार्थना

पत्र स्वीकार किया जाकर संलग्न दस्तावेजात को अभिलेख पर लिए जाने का निवेदन किया।

इसके विपरीत दौराने बहस अधिवक्ता प्रतिवादीगण ने अपने जवाब प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया है कि प्रतिवादी पक्ष के साथ–साथ वादीगण भी इकरारनामा दिनांक 10.09.2015 पर श्यामसुन्दर के हस्ताक्षर फर्जी होना कह रहे हैं और वादीगण ने प्रतिवादी राजकुमार के विरूद्ध फौजदारी अभियोजन चला रखा है। वादीगण ने पुलिस अनुसंधान अधिकारी व एफ.एस.एल. विभाग से मिलीभगत करके गलत रिपोर्ट प्रस्तुत करवाई है व पुलिस ने विधिनुसार अनुसंधान नहीं कर गलत अंतिम प्रतिवेदन प्रस्तुत किया है। वादीगण द्वारा प्रस्तुत तथाकथित दस्तावेज इस स्तर पर सुसंगत नहीं है और इस स्तर पर साक्ष्य में ग्राह्य नहीं है। चूंकि प्रतिवादी/परिवादी ने फौजदारी मुकदमा नंबर 287/2022 में (सुषमा बनाम सरकार) में नियमानुसार प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 173 (8) सीआरपीसी के तहत प्रस्तुत कर एफ.आई.आर. नंबर 84/19 (एफ.आर. नंबर 310/22) में पुनः अनुसंधान हेतु व विवादित इकरारनामा दिनांक 10.09.2015 के हस्ताक्षरों की जांच सेन्ट्रल विधि विज्ञान प्रयोगशाला से किए जाने हेतु मांग कर रखी है, जो कि अभी विचाराधीन है। अतः वादीगण द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज मौजूदा स्तर पर सुसंगत नहीं होने के कारण रिकॉर्ड पर नहीं लिए जावे। विकल्प में अगर उपरोक्त दस्तावेज रिकॉर्ड पर लिए जाते हैं तो उक्त दस्तावेज के खण्डनस्वरूप प्रतिवादी को दस्तावेज प्रस्तुत करने की इजाजत दी जावे।

उभय पक्षों के तर्कों पर मनन किया गया। पत्रावली का अवलोकन किया गया। अधिवक्ता वादीगण ने प्रार्थना पत्र के माध्यम से संलग्न दस्तावेज को रिकॉर्ड पर लिए जाने का निवेदन किया है, जिसका अधिवक्ता प्रतिवादीगण ने विरोध किया है। इस संबंध में पत्रावली का अवलोकन किया गया, जिससे यह प्रतीत होता है कि अधिवक्ता वादीगण द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजात प्रकरण से संबंधित एवं सुसंगत है, जिन्हें रिकॉर्ड पर लिया जाना

न्यायालय के विनम्र मत में न्यायोचित प्रतीत होता है।

जहां तक प्रतिवादीगण द्वारा उक्त दस्तावेजात के खण्डन स्वरूप दस्तावेज पेश किए जाने का प्रश्न है तो प्रत्येक पक्षकार अपने अभिवचनों के समर्थन में दस्तावेज पेश करने हेतु स्वतंत्र है। यदि प्रतिवादीगण द्वारा खण्डन स्वरूप प्रार्थना पत्र के साथ दस्तावेज पेश किए जाते हैं और उक्त दस्तावेज प्रकरण से संबंधित व सुसंगत होते हैं तो उस प्रार्थना पत्र पर सुना जाकर ही नियमानुसार आदेश पारित किया जा सकेगा।

अतः प्रकरण के तथ्यों व परिस्थितियों को देखते हुए वादीगण की ओर से प्रस्तुत प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर संलग्न दस्तावेजात को रिकॉर्ड पर लिए जाने का आदेश दिया जाता है।

पत्रावली वास्ते कायम तनकीयात में दिनांक 17.01.2024 को पेश हो।